शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या - 13 /2019 / ए-1-942/दस-2019-3(2)/87

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2019**

विषय : नियत तिथि से पूर्व वेतन का भुगतान।

महोदय,

उपर्यक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 को बैंक अवकाश व दिनांक 27 अक्टूबर, 2019 को दीपावली के पर्व पर सार्वजनिक अवकाश होने के कारण श्री राज्यपाल महोदय समस्त राज्य कर्मचारियों व सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वेतन एवं उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को माह अक्टूबर, 2019 की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कृपया इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या - 13/2019 / ए-1-942 (1) /दस-2019-3(2)/87, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा/विधान परिषद्,सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) विशेष सचिव,इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasnadesh.up.nic.in

(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों, तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें।

(6) चीफ जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ।

(7) करेन्सी ऑफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, इश्यू सेक्शन, कानपुर।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।